

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग 2- मनुभाग 1क PART II-Section 1A प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 9

नई दिस्ली, शुक्रवार, 26 जुलाई, 1996/4 श्रावण, 1918 (शक) NEW DELHI, FRIDAY, JULY 26, 1996/Stavana 4, 1918 (Saka)

खंड XXXII Vol. XXXII

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

### विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 26 जुलाई, 1996/श्रावण 4, 1918 (शक)

दि इन्डो-तिक्तन बोर्डर पुलिस पोर्स ऐक्ट, 1992; (2) दि पब्लिक रिकार्डस ऐक्ट, 1993; (3) दि नेगनल कार्जासल फार टीचर्स एजुकेशन ऐक्ट, 1993; (4) दि रेलवेज (श्रमेंडमेंट) ऐक्ट, 1994; (5) दि मोटर व्हींबलस (श्रमेंडमेंट) ऐक्ट, 1994; (6) दि केबल टेलीविजनंट नेटवर्कस (रेगुलेशन) ऐक्ट, 1995; (7) दि एशीप्रिएशन (बोट श्रान अकाउन्ट) ऐक्ट, 1995; (6) दि विहार एशीप्रिएशन (वीट श्रान अकाउन्ट) ऐक्ट, 1995 थीर (9) दि एशीप्रिएशन (नं० 2) ऐक्ट, 1995 के निम्नविखित हिन्दी श्रनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और य राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के प्रधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे :—

# MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, July 26, 1996/Sravana 4, 1918 (Saka)

The following translations in Hindi of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992, (2) The Public Records Act, 1993; (3) The National Council for Teachers Education Act, 1993; (4) The Railways (Amendment) Act, 1994; (5) The Motor Vehicles (Amendment) Act, 1994; (6) The Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995; (7) The Appropriation (Vote on Account) Act, 1995; (8) The Bihar Appropriation (Vote on Account) Act, 1995; and (9) The Appropriation (No. 2) Act, 1995 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (r) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

		d.co
भारत-तिब्बत सीमा पुलित चल अधिनियम, 1992	. •	
The Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992)	1992 (35 of	107
	; ;	
लोक अभिलेख विधिनियम, 1993	<u>;</u>	159
The Public Records Act, 1993 (69 of 1993)		133
राब्द्रीय ब्रध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1993		
The National Council for Teachers Education (73 of 1993)	Act, 1993	167 — ) 8
रेल (संशोजन) प्रधिनियम, 1994		***
The Railways (Amendment) Act, 1994 (28 of 19	994)	185
भोटर यान (संशोजन) अधिनियम, 1994		
The Motor Vehicles (Amendment) Act, 1994 (5	4 of 1994)	189
केंत्रल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995	ing the section of th	
The Cable Television Networks (Regulation)	Ant 100c	211
(7 of 1995)	Aci, 1393	
विनियो। (लेडान्दान) विधिनियम, 1995	• •	
The Appropriation (Vote on Account) Act, 1995 (1	2 of 1995)	21.9
बिहार विनियो। (लेखानुदान) अधिनियम, 1995		9.9#
The Bihar Appropriation (Vote on Account) Act, 19 1995).	95 (16 of	227
		,
विनियोग (संस्थांक 2) अधिनियम, 1995		231
The Appropriation (No. 2) Act 1025 (22 oc 102)	~	####

# राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993

(1993 का अधिनियम संख्यांक 73)

[ 29 दिसम्बर, 1993]

सारे बेश में भव्यात्रक शिक्षा प्रणाली का योजनावद्ध और समवन्वित विकास करने तथा बध्यापक शिक्षा प्रणाली में मानकी मीर स्तरमानों का विनियमन गौर उन्हें समृचित रूप में बनाए रखने की वृद्धि से राष्ट्रीय मध्यापक शिसा परिषद् को स्थानना करने का भीर उनते संबंधित विषयों का च विकास करते हैं कि स्वार्थ करते के निए

र विकास के विकास स्वास्त्र करता है जिल्ला है कि कार्यक्रिक्ट का विकास करता है कि कार्यक्रिक्ट के अपने कार्यक्र विकास अभावता एक विकास क्षेत्र के कि कार्यक्रिक्ट के अध्यक्षित के कार्यक्रिक्ट के अध्यक्षित के कार्यक्रिक के अध्यक्ष भारत गणराज्य के चवालीसर्वे वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह

# The second second is a second second

### **प्रारम्भिक**े कुल १८७० । जोल्य हे हा असा

1. (1) इस ग्रधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय ग्रध्यापक शिक्षा परिषद् ग्रधिनियम, 1993 है।

संक्षिप्त नाम: विस्तार भौर प्रारम्भ ।

- (2) इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।
- (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत में ग्रधिसूचना द्वारा, नियत करे।
  - 2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

परिभाषाएं ।

- ः (क) "नियतः दिन" से धार्यः उकी उपधाराः (1) के श्रधीन राष्ट्रीय प्रध्यापक शिक्षा परिषद् की स्थापना की तारीख ग्रीभेषेत हैं ;
  - (ख) "श्रघ्यक्ष" से घारा 3 की उपधारा (4) के खंड (क) के श्रधीन नियुक्त परिषद् का श्रध्यक्ष भित्रते हैं;
  - (ग) "परिषद्" से धारा 3 की उपवारा (1) के अधीन स्थापित राष्ट्रीय प्रध्यापक शिक्षा परिषद् ग्रभिप्रेत है;
  - (घ) "परीक्षा निकाय" से ऐसा कोई विश्वविद्यालय, ग्रिभकरण या प्राधिकारी श्रभिप्रेत है जिससे श्रध्यापक शिक्षा ग्रह्ताग्रों में परीक्षाग्रों के संचालन के लिए कोई संस्था सहबद्ध है ;
  - (ङ) "संस्था" से ऐसी कोई संस्था भ्रिभिन्नेत जो भ्रध्यापक शिक्षा में पाठ्यकर्म या प्रशिक्षण अस्यापित करती है। अने कि अनुसार (हा

1956 কা 3

- (च) "सदस्य" से परिषद् का कोई सदस्य ग्रभिप्रेत है और अन्तर्गत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं ;
- (छ) "सदस्य सचिव" से धारा 3 की उपद्यारा (4) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त परिषद् का सदस्य-सचिव अभिप्रेत है;

COLL PRESSE विहित स्रभिप्रेत हैं

- (झ) "मान्यताप्राप्त संस्था" से धारा 14 के प्रधीन परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त कोई संस्था ग्रभिप्रेत है;
- भार परना नागाय है। हिंदि के प्राप्ति के स्थापित समिति ''प्रादेशिक समिति'' से धारा 20 के प्रधीन है स्थापित समिति अभिप्रेत है ;
- (ट) "विनियम" से धारा 32 के अधीन बनाए गए विनियम fere: mermer) अभिप्रेत हैं ;
  - (ठ) (अध्यापक शिक्षा में विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक और उन्त्रतर माध्यमिक प्रक्रमी पर ग्रेंड्यापन करते के भाव्यामन अपि उपवत्र माध्यामन प्रक्रमा पर ग्रह्मपान करत क लिए व्यक्तियों को तायार करने के लिए शिक्षा भूतसंघान या प्रशिक्षण के कार्यक्रम ग्रमिप्रेत हैं ग्रीर इसके ग्रंतगत ग्रनीपुनारिक शिक्षा, ग्रंशकालिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षा तथा पंत्राचार शिक्षा है;
    - शिक्षा ग्रहंता से इस ग्रधिनियम के उपबंधों के ग्रनुसार विश्वविद्यालय या परीक्षा निकाय द्वारा प्रदत्त ग्रध्यापक शिक्षा में उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाणपत्न ग्रामिप्रेत हैं ; THE PROPERTY OF THE
  - विश्वविद्यालयं से विश्वविद्यालयं अनुदान आयोग अधिनियमः 1956 की धारा 2 के खंड (च) के ग्रुधीन परिभाषित, कोई विश्वविद्यालय ग्रुभियेत है ग्रीर इसके ग्रन्तर्गत ऐसी संस्था है जो उस ग्रुधिनियम की धारा 3 के प्रधीन समझा गया विषवविद्यालय है ;
    - (ण) "उपाध्यक्ष" से धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (ख) के ग्रधीन नियुक्त परिषद का उपाध्यक्ष ग्रभिप्रेत है।

### ग्रध्याय 2

परिषद् स्थापना ।

i ima

- ---हेंद्र १८ १९८८ हामस्विद् की स्थापनी हैंद्र है 3. (1) ऐसी तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्न में क्रविस्चना द्वारा नियंत करे, सुष्ट्रीय ग्रध्यापकः शिक्षाः परिषद् ्के नाम् से वज्ञात एक परिषद् की स्थापना की जाएगी।
- (2) परिषद् पूर्वोक्त नाम की एक निगमित निकाय होगी जिसका शास्त्रत उत्तराधिकारी श्रीर सामान्य मुद्रा होगी ग्रीर उसे संविदा करने की शक्ति होगी तथा उनत नाम से वह बाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा।
- (3) परिषद् का प्रधान कार्यालय दिल्ली में होगा ग्रौर परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पर्वानुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर प्रादेशिक कार्यालय स्थापित कर सकेगी ।
  - (4) परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलंकर देनेगी, इयित् --A STATE OF THE STA
    - (क) ग्रध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

- (ख) उपाध्यक्ष, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;
- (ग) सदस्य-सचिव, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;
- (घ) भारत सरकार के शिक्षा से संबंधित विभाग का सचिव, पदेन ;

### 1956 কা 3

- (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग श्रिधिनियम, 1956 की धारा 4 के श्रधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग का श्रध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, पदेन;
- (च) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, पदेन ;
- (छ) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षणिक योजना ग्रीर प्रशासन संस्थान, पदेन ;
  - (ज) सलाहकार (शिक्षा), योजना आयोग, पदेन ;
  - (झ) ग्रध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, पदेन ;
- (ञा) भारत सरकार के शिक्षा से संबंधित विभाग का वित्त सलाह-कार, पदेन ;
- (ट) सदस्य-सचिव, ग्रखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् पदेन ;
  - (ठ) सभी प्रादेशिक समितियों के ग्रध्यक्ष, पदेन ;
  - (ड) केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसे तेरह व्यक्ति, जिनके पास शिक्षा या अध्यापन के क्षेत्र में अनुभव और ज्ञान है, निम्नलिखित में से नियुक्त किए जाएंगे :—
    - (i) विश्वविद्यालयों में शिक्षा संकायों के ग्रध्यक्ष ग्रीर शिक्षा के ग्राचार्य

वारं ;

(ii) माध्यमिक ग्रध्यापक शिक्षा में विशेषज्ञ

रक

(iii) पूर्व प्राथमिक ग्रौर प्राथमिक ग्रध्यापक शिक्षा में विशेषज्ञ

तीन ;

- (iv) ग्रनीपचारिक शिक्षा ग्रीर प्रौढ़ शिक्षा में विशेषज्ञ दो ;
- (V) विहित रीति में चक्रानुकम से प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भाषा विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, कार्य अनुभव, शैक्षणिक, प्रौद्योगिकी और विशेष शिक्षा के क्षेत्रों में विशेषज्ञ तीन

- (ढ) ती सदस्य, जो राज्यों ग्रीर संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों का प्रति-निधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित रीति से नियुक्त किए जाएंगे;
- (ण) संसद् के तीन सदस्य, जिनमें से एक सदस्य राज्य सभा के सभापित द्वारा श्रीर दो सदस्य लोक सभा के श्रध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ;
- (त) तीन सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राथमिक ग्रीर माध्यमिक शिक्षा के ग्रध्यापकों तथा मान्यताप्राप्त संस्थाग्रों के ग्रध्यापकों में से नियुक्त किए जाएंगे।
- (5) यह घोषित किया जाता है कि अिरिषद् के सदस्य का पद उसके धारक को संसद् के किसी, भी सदन का सदस्य चुने जाने या होने के लिए निर्राहत नहीं करेगा।

सदस्यों की पदा-विध श्रीर सेवा की शर्ते।

- 4. (1) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष ग्रौर सदस्य-सचिव पूर्णकालिक ग्राधार पर पद धारण करेंगे ।
- (2) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव की पदाविध चार-चार वर्ष या साठ वर्ष की आयु पूरी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।
- (3) ग्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष ग्रीर सदस्य सचिव की सेवा की शर्ते वे होंगी जो विहित की जाएं।
- (4) धारा 3 की उपधारा (4) के खंड (क) से (ठ) तक तथा खंड (इ) ग्रीर खंड (ण) में विनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदाविध दो वर्ष या नई नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी प्रश्वात्वर्ती हो, होगी और ऐसे सदस्यों की सेवा की ग्रन्य शर्त वे होगी, जो विहित की जाएं।
- (5) यदि अध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग अथवा बीमारी या अन्य असमर्थता की वजह से अपने कृत्यों का निर्वहत करने में असमर्थता के कारण उसके पद में कोई आकर्रिमक रिक्ति हो जाती है तो तत्समय उस रूप में पद धारण करने वाला उपाध्यक्ष, अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा और जब तक कि इसके पूर्व अध्यक्ष के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त नहीं कर दिया जाता है, वह अध्यक्ष का पद उस व्यक्ति की, जिसके स्थान पर उसे इस प्रकार कार्य करना है, पदाविध के शेष भाग के लिए धारण करेगा।
- (6) यदि उपाध्यक्ष या किसी ग्रन्थ सदस्य की मृत्यु पदत्याग अथवा बीमारी या ग्रन्थ ग्रसमर्थता की वजह से ग्रपने कृत्यों का निर्वहन करने में ग्रसमर्थता के कारण उसके पद में कोई ग्राकस्मिक रिक्ति हो जाती है, तो ऐसी रिक्ति नई नियुक्ति करके मरी जाएगी, और इस प्रकार नियुक्ति किया गया व्यक्ति उस व्यक्ति की, जिसके स्थान पर ऐसे व्यक्ति की इस प्रकार नियुक्ति हुई है, पदाविध के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा।
- (7) अध्यक्ष, परिषद् के अधिवेशनों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त, परिषद् की ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तृत्यों का निर्वहन करेगा जो परिषद् द्वारा उसे प्रत्यायोजित किए जाएं और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तृत्यों का निर्वहन करेगा जो विहित किए जाएं।
- (8) उपाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो ग्रध्यक्ष द्वारा समय-समय पर उसे सौपे जाएं।

सदस्य के पद के 5. कोई व्यक्ति सदस्य के रूप नियुक्त किए जाने के लिए निहित होगा, लिए निरहिता। यदि वह:—

(क) किसी ऐसे प्रपराध के लिए सिद्धदोध टहराया गया है, धौर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता ग्रंतर्गस्त है; या THE PARTS

म इप क फ्राउस । त्रकीरी

Vic 12 13 15

- (ख) अनुन्मानित दिवालिया है; या
- (ग) विक्रतिचत का है और किसी सक्षम क्यायालय हारा ऐसा
- (व) सरकार या सरकार के रामरवाधीन या परक्रा (व) निगमित निकाय की सेवा में इटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है, या
- क्या सरकार में प्रियं में प्रियं में परिषंद में प्रियं कि प्राप्त स्था कि प्राप्त कि प्राप्त कि प्रियं प्राप्त कि प्राप्त

6. केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य को हटा देगी, यदि बहु,

:ई ाजार दि निवस के पहुंचना के आधा हम c 1718 (क)

हुह की एए जाए छाउड़ डिस रुप राधार एड़ फड़क कि हैं कि कुर्प इंग है एए डिस कि एड़ेरनी तिणीह में (ड) डंड के छा अस एड़ डि एए एड़ी ई म रामना कि तहीं है। एड़ कि की कि

- क्षि करने में इकार करता है । करता के क्षि के के के के के कि कि है । कि है । कि है । कि है । कि कि के कि कि कि
- (म) परिषद् में अनुपरिश्वत होने को ह्याजत लिए बिना परिषद् के निम लगातार श्रीधवेशकों में अनुपरिश्वत रहता है; या
- प्राक्त मुद्र एक उप निरम में भाग कि जाक्ष्म मुद्रक्त हम (घ) इस्पयोग कि तहीं के एड पर पर पर कि जाक्ष्म की है एक्पी गिरम्ब है:

ाधाउंडु डिस के वा सरमा भिंदू है कि मिडाइ के डांस पुरन्त पर्य ता वा मह प्रिया में प्राप्त कि वा मह प्राप्त का मह प्त का मह प्राप्त का मह प्राप्त का मह प्राप्त का मह प्राप्त का मह प

के उपरीप गिरुं 7प निवास में समये और एम स्वास के उपरीप (1) ए श्रीर वह उसके अधिवश्री में कारवार के संवयवहार (जसके अतर्गत के से प्रिक्ष के अत्राप्त के प्रविचान । के बार ने प्राप्तिक के कि स्वास के कि स्वास के कि मियम के प्राप्त के कि मियम के प्राप्त के कि मियम कि मियम के कि मियम कि मियम

। 111डि राह क्य मक मि में के कि कि राह होशिय कि इपरीप हुन्प्रप

- निष्टिष्टीहर के ड्रथरीए ,स्थाय में तीष्ट्रीपृष्ट किसट ग्रेस सध्यक्ष (२) । गण्डल प्रस्ति सह्यक्ष्म हि
- (३) मिली के जुर्गिए निर्म, स्प्राया र्राप्त स्थाय स्थाय के निर्मित जार (३) एत के निर्मित स्थाय स्थाय के सम्प्रक में स्थाय स्याय स्थाय स्याय स्थाय स्य

+

रिक्तियों, श्रादि से परिषद् की कार्यवाहियों का स्रविधिमान्य न होना ।

- परिषद् का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण श्रविधिमान्य नहीं होगी कि :—
  - (क) परिषद् में कोई रिक्ति है, या उसके गटन में कोई बुटि है; या
  - (ख) परिषद् के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई तुटि है ; या
  - (ग) परिषद् की प्रक्रिया से कोई ऐसी श्रनियमितता है जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है।

सहयोजित करने की मक्ति ।

- 9. (1) परिषद् ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, तीन से अनुधिक ऐसे क्येंन्तियों को जिनकी सहायता या सलाह की वह इस अधिनियम के उपबंधों से किसी को कार्यान्वित करने में वांछा करे, सहयोजित कर सकेगी।
- (2) उपधारा (1) के अधीन किसी प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा सहयोजित व्यक्ति को, उस प्रयोजन से सुसंगत विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा किन्तु उसे परिषद् के किसी अधिवेशन में मत देने का अधिकार नहीं होगा और वह किसी अन्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होगा।

परिषद् के ग्रधि-कारियों और भ्रन्य कमचारियों की नियुक्ति । 10. (1) परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए अपने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, ऐसे विनियमों के जो इस निमित्त बनाए जाए अधीन रहते हुए उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारी (प्रतिनियुक्ति पर या अन्यथा) नियुक्त करेगी जितने वह आवश्यक समझे :

परन्तु केन्द्रीय सरकार में समूह "क" पदों के समतुल्य पदों का प्रवर्ग, केन्द्रीय सरकार के श्रनुमोदन के श्रधीन होगा।

(2) परिषद् द्वारा नियुक्त प्रत्येक ग्रधिकारी या अन्य कर्मचारी, सेवा की ऐसी शर्ती के श्रधीन होगा जो विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं।

परिषद् के आदेशों और भ्रन्य लिखतों का अधिप्रमाणन । 11. परिषद् के सभी आदेश और विनिश्चय अध्यक्ष के या परिषद् द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सदस्य के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित किए जाएंगे और परिषद् द्वारा निकाली गई ऐसी सभी लिखतें परिषद् के सदस्य-सचिव के या अध्यक्ष द्वारा इस निमित्त वैसी ही रीति से प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के हस्ताक्षर से अधिप्रमाणित की जाएंगी।

### श्रध्याय ३

### परिषद् के कृत्य

परिषद के कृत्य।

- 1.2. परिषद् का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे सभी उपाय करे जो वह प्रध्यापक शिक्षा के योजनावद्ध और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने तथा प्रध्यापक शिक्षा के स्तरमानों के अवधारण और उनको बनाए रखने के लिए ठीक समझ और इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का पालन करने के प्रयोजनों के लिए, परिषद् :—
  - (क) ग्रध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुग्रों के सर्वध में सर्वेक्षण ग्रौर ग्रध्ययन कर सकेगी तथा उसका परिणाम प्रकाशित कर सकेगी ;
  - (ख) ग्रध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में उपयुक्त योजनाम्रों ग्रौर कार्यक्रमों की तैयारी के विषय में केन्द्रीय सरकार ग्रौर राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय ग्रन्दान ग्रायोग ग्रौर मान्यताप्राप्त संस्थाम्रों को सिफारिओं कर
  - (ग) देश में ग्रध्यापक शिक्षा श्रीर उसके विकास का समन्वय श्रीर उसको मानिटर कर सकेगी;

- (घ) विद्यालयों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं में श्रध्यापक के रूप में नियोजित करने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम श्रहेताओं के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत श्रीधकथित कर संकेगी;
- (ङ) ब्रध्यापक शिक्षा में पाठ्यकर्मी या प्रशिक्षणों के किसी विनि-विष्ट प्रवर्ग के लिए मानक, जिसके अन्तर्गत उसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम पातता मानदंड और अभ्यवियों के चयन की पद्धति पाठ्यकम की भ्रविध, पाठ्यकम की विषयवस्तु और पाठ्यकम का ढंग है, अधिकथित कर सकेंगी;
- (च) मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा अनुपालन के लिए, नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारम्भ करने के लिए, तथा धारीरिक और शिक्षण संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने, स्टाफ़ पटनं, कर्मचारिवृन्द की अहंताओं के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत प्रधिकथित कर सकेगी;
- (छ) श्रध्यापक शिक्षा श्रह्ताश्रों में परीक्षाश्रों, ऐसी परीक्षाश्रों में प्रवेश के लिए मानदंड श्रीर पाठ्यक्रमों या प्रशिक्षण की स्कीमों के संबंध में स्तरमान श्रधिकथित कर सकेगी;
- (ज) मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा प्रभाव प्रध्यापन-फीस और ग्रन्य फीसों के संबंध में मार्गदर्शक सिद्धांत घ्रधिकथित कर सकेशी;
- (झ) ब्रध्यापक शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में अभिनव परिवर्तन और अनुसंधान का संवर्धन और संचालन कर सकेंगी तथा उसके परिणामों का प्रसार कर सकेंगी;
- (ञा) परिषद् द्वारा अधिकथित मानकों, मार्गदर्शक सिद्धांतों ग्रौर स्तरमानों के क्रियान्वयन की कालिकतः परीक्षा ग्रौर पुनीवलोकन कर सकेगी ग्रौर मान्यता प्राप्त संस्थाग्रों को उपयुक्त रूप में सलाह दे सकेगी;
- (ट) मान्यताप्राप्त संस्थाम्नों को जवाबदार बनाने के लिए उपयुक्त कार्य निष्पादन, मूल्यांकन पद्धति, मानक और कियाविधि विकसित कर सकेगी:
- (ठ) अध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए स्कीमें बना सकेगी और अध्यापक विकास कार्यकर्मों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थाओं का पता लगा सकेगी और नई संस्थाएं स्थापित कर सकेगी;
- (ड) ग्रध्यापक शिक्षा के वाणिज्यीकरण की रोकने के लिए सभी ग्रावश्यक कदम उठा सकेगी; ग्रोर
- (ढ) ऐसे अन्य कृत्य कर सकेगी जो केन्द्र सरकार द्वारा उसे सींवें जाएं।
- ा 3. (1) परिषद् इस बात की अभिनिश्चित करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या संस्थाएं इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार कृत्य कर रही हैं किसी ऐसी संस्था का ऐसे व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, ऐसी रीति से जो विहित की जाए, निरीक्षण करा सकेगी।

निरीक्षण ।

- (2) परिषद्, संस्था को वह तारीख संस्चित करेगी जिसको उपधारा (1) के अधीन निरीक्षण किया जाना है और संस्था निरीक्षण से ऐसी रीति से सहयुक किए जाने की हकदार होगी जो विहित की जाए।
- (3) परिषद्, संस्था को ऐसे किसी निरीक्षण के परिणामों के संबंध में ध्रपने विचार संसूचित करेगी और उस संस्था की राय भ्रभिनिश्चित करेने के पश्चात् उस संस्था को ऐसे निरीक्षण के परिणामस्बरूप की जाने वाली कार्रवाई की सिफारिश करेगी।
- (4) इस धारा के अधीन संस्था को दी जाने वाली सभी संसूचनाएं उसकें कार्यपालक प्राधिकारी को दी जाएंगी और संस्था का कार्यपालक प्राधिकारी परिषद् को उस कार्रवाई की, यदि कोई हो, रिपोर्ट देगा जिसे किसी ऐसी सिफारिश को, जो उपधारा (13) में निर्दिष्ट है, कियान्वित करने के प्रयोजनों के लिए, किए जाने की प्रस्थापना की गई है।

### ग्रध्याय 4

### अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की मान्यता

ग्रध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाली संस्थान्नी की मान्यता। 14. (1) नियत दिन को या उसके पश्चात् अध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाली या प्रस्थापित करने का आशय रखने वाली प्रत्येक संस्था, इस प्रधिनियम के प्रधीन मान्यता दी जाने के लिए संबद्ध प्रादेशिक समिति को, ऐसे प्रस्थ में और ऐसी रीति से, जी विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, आवदन करेगी :

परन्तु नियत दिन के ठीक पूर्व घष्ट्यापक शिक्षा में पाठ्यकम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाली कोई संस्था छह मास की घ्रविध के लिए घौर यदि उसने उक्त ग्रविध के भीतर मान्यता के लिए ग्रावेदन किया है तो प्रादेशिक समिति हारा ग्रावेदन के निपटाए जाने तक एसे पाठ्यकम या प्रशिक्षण चालू रखने की हकदार होगी।

- (2) उपधारा (1) के प्रधीन प्रावेदन के साथ सदत्त की जाने वाली फीस वह होगी जो विहित की जाएं।
- (3) उपधारा (1) के ग्रधीन किसी संस्था से प्रादेशिक समिति द्वारा ग्रावेदन की प्राप्ति पर श्रीर संबंधित संस्था से ऐसी ग्रन्थ विशिष्टियां, जो ग्रावश्यक समझी जाएं, प्राप्त होने के पश्चात् वह—
- (क) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी संस्था के पास पर्याप्त वित्तीय साधन, स्थान सुविधा, पुस्तकालय, श्राहित कर्मचारि-वृन्द, प्रयोगशाला है और वह ऐसी अन्य शर्तो को पूरा करती है जो अध्यापक शिक्षा में किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए संस्था के उचित कार्य-करण के लिए अपेक्षित है, और जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, तो ऐसी संस्था को, ऐसी शर्ता के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, तो ऐसी संस्था को, ऐसी शर्ता के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, मान्यता देने वाला आदेश पारित करेगी ; या
- (ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी संस्था, उपखंड (क) में ग्राधिकथित श्रपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है तो ऐसे कारणों से, जो लेखबढ़ किए जाएंगे, ऐसी संस्था को मान्यता नामंजूर करने वाला श्रादेश पारित करेगी

परन्तु उपखंड (ख) के अधीन कोई आदेश पारित करने के पूर्व, प्रावेशिक समिति, लिखित अभ्यावेदन करने के लिए संबंधित संस्था को उचित अवसर प्रदान करेगी ।

- (4) उपधारा (3) के अधीन अध्यापक शिक्षा में किसी पाठ्यकम या प्रशिक्षण के लिए किसी संस्था को मान्यता मंजूर करने या नामंजूर करने जाला प्रत्येक आदेश राजपत में प्रकाशित किया जाएगा और समुचित कार्रवाई के लिए ऐसी संस्था को और संबंधित परीक्षा निकाय, स्थानीय शिधिकारी या राज्य सरकार और केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा।
- (5) ऐसी प्रत्येक संस्था, जिसकी बाबत मान्यता नामजूर कर दी गई है, उपधारा (3) के खंड (ख) के ग्रधीन पारित मान्यता नामजूर करने वाले ग्रादेश की प्राप्ति की तारीख से ठीक ग्रागमी शैक्षणिक सन्न की समाप्ति से ग्रध्यापक शिक्षा में पाठ्यकम या प्रशिक्षण बंद कर देगी।
- (6) प्रत्येक परीक्षा निकाय, उपधारा (4) के ग्रधीन ग्रादेश की प्राप्ति पर:—
  - (क) जहां मान्यता मंजूर कर दी गई है वहां संस्था को संबद्ध किया जाना मंजूर करेगी; या
  - (ख) जहां मान्यता नामजूर कर दी गई है वहां संस्था को सबद्ध किया जाना रह कर देगी।

15. (1) जहां कोई मान्यताप्राप्त संस्था अध्यापक शिक्षा में कोई नया पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रारंभ करने का ग्राश्य रखती है, वहां उसकी अनुज्ञा के लिए संबंधित प्रादेशिक समिति को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, आवेदन कर सकेगी।

मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा नए पाठ्यकम या प्रशिक्षण की अनुसा ।

- (2) उपधारा (1) के ग्रधीन ग्रावेदन के साथ सदत्त की जाने वाली फीस वह होगी जो विहित की जाए ।
- (3) उपधारा (1) के श्रधीन किसी संस्था से श्रावेदन की प्राप्ति पर श्रीर मान्यताप्राप्त संस्था से ऐसी श्रन्य विशिष्टियां, जो श्रावश्यक समझी जाएं, प्राप्त होने के पश्चात्, प्रादेशिक समिति,—
  - (क) यदि उसका, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था के पास पर्याप्त वित्तीय साधन, स्थान सुविधा, पुस्तकालय, प्रहित कर्मचारिवृन्द, प्रयोगशाला है और वह ऐसी अन्य शर्तों को पूरा करती है जो प्रध्यापक शिक्षा में ऐसे नए पाठ्यकम या प्रशिक्षण के समुचित संचालन के लिए अपेक्षित है, और जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, तो ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं, अनुज्ञा मंजूर करने वाला आदेश पारित करेगी; या
  - (ख) यदि उसकी यह राय है कि ऐसी संस्था, उपखंड (क) में प्रधि-कथित प्रपेक्षाओं को पूरा नहीं करती है, तो ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी संस्था को अनुज्ञा नामंजूर करने वाला आदेश पारित करेगी:
- परन्तु उपखंड (खं) के प्रधीन अनुज्ञा नामजूर करने वाला प्रादेश पारित करने के पूर्व, प्रादेशिक समिति, लिखित अभ्यावेदन करने के लिए संबंधित संस्था को उचित अवसर प्रदान करेगी।
- (4) जपधारा (3) के ब्रधीन ब्रध्यापक शिक्षा में किसी नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए किसी मान्यताप्राप्त संस्था को ब्रनुज्ञा मंजूर करने या नामजूर करने वाला प्रत्येक ब्रादेश राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा ब्रौर समुचित कार्रवाई के लिए ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था को ब्रौर संबद्ध परीक्षा निकाय, स्थानीय प्राधिकारी, राज्य सरकार ब्रौर केन्द्रीय सरकार को लिखित रूप में संसूचित किया जाएगा।

16. तत्समय प्रवृत्त किसी ग्रन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, कोई परीक्षा निकाय, नियत दिन को या उसके पश्चात् तब तक,—

- (क) किसी संस्था को अनंतिम या अन्यथा, सहबद्ध किया जाना मंजूर नहीं करेगा; या
- (ख) किसी मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा संचालित किसी पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के लिए, अनंतिम या अन्यथा, परीक्षा आयोजित नहीं करेगा,

जब तक कि संबंधित संस्था ने धारा 14 के ग्रधीन संबंधित प्रादेशिक समिति से मान्यता या धारा 15 के ग्रधीन किसी पाठ्यक्रम या शिक्षण के लिए ग्रनुज्ञा न प्राप्त कर ली हो।

17. (1) जहां प्रादेशिक समिति का, स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी अभ्यावेदन पर यह समाधान हो जाता है कि किसी मान्यताप्राप्त संस्था ने इस अधिनियम के किसी उपबंध का अधवा इसके अधीन बनाए गए नियमों, विनियमों या निकाले गए आदेशों का या किसी ऐसी शर्त का, जिसके अधीन रहते हुए धारा 14 की उपधारा (3) के अधीन मान्यता दो गई थी या वारा 15 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा मंजूर की गई थी, उल्लंघन किया है, यहां वह, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी मान्यतप्राप्त संस्था की मान्यता वापस ले सकेगी:

परिषद् द्वारा मान्यताया श्रनुज्ञा के पश्चात् सह-बद्धक निकाय द्वारा सहबद्ध किया जाना मंजूर करना।

ग्रधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन ग्रीर उसके परिणाम।

परन्तु किसी मान्यताप्राप्त संस्था के विरुद्ध कोई ऐसा आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध ऐसी मान्यताप्राप्त संस्था को अभ्यावेदन करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु यह ग्रीर कि प्रादेशिक समिति द्वारा पारित मान्यता वापस लेने वाला या इंकार करने वाला ग्रादेश, ऐसे ग्रादेश की संसूचना की तारीख से ठीक ग्रागामी शैक्षणिक सन्न की समाप्ति से ही प्रवृत्त होगा ।

(2) प्रादेशिक समिति द्वारा उपधारा (1) के अधीन पारित प्रत्येक आदेश की प्रति—

- (क) संबंधित मान्यताप्राप्त संस्था को भेजी जाएगी और उसके साथ ही उसकी एक प्रति सहबद्धता रद्द करने के लिए उस विश्वविद्यालय या परीक्षा निकाय को भेजी जाएगी जिससे ऐसी संस्था सहबद्ध की गई थी; और
- (ख) वह आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजपत में अकाशित किया जाएगा।
- (3) यदि उपधारा (1) के अधीन किसी मान्यताप्राप्त संस्था की मान्यता एक बार वापस ले ली जाती है तो ऐसी संस्था, अध्यापक शिक्षा में ऐसे पाठ्य-कमया प्रशिक्षण को बन्द कर देगी और संबंधित विश्वविद्यालय या परीक्षा निकाय उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश के अनुसार संस्था की सहबद्धता को, उक्त आदेश की संसूचना की तारीख के ठीक आगामी शिक्षणिक सन्न की समाप्ति से रह कर देगा।
- (4) यदि कोई संस्था उपधारा (1) के अधीन मान्यता वापस लेने वाले आदेश के प्रवृत्त होने के पश्चात् अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करती है तो, या जहां अध्यापक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रस्थापित करने वाली कोई संस्था नियत दिन के ठीक पूर्व अधिनियमः के अधीन मान्यता या अनुज्ञा प्राप्त करने में असफल हो जाती है या उपेक्षा वरतती हैं वहां, ऐसे पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के अनुसरण में या ऐसी संस्था में पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण, करने के पश्चात् प्राप्त अध्यापक शिक्षा में अर्हता को केन्द्रीय सरकार, विस्ति राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त किसी विद्यालय, महाविद्यालय या अन्य शिक्षा में नियोजन के प्रयोजनों के लिए, विधिमान्य महीता नहीं मानी जाएगी।

भ्रपील ।

- 18. (1) अधिनियम की धारा 14 या धारा 15 या धारा 17 के अधीन निकाल गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी अविधि के भीतर जो विहित की जाए, परिषद् को अपील कर सकेगा ।
- (2) प्रपील उस दशा में ग्रहण नहीं की जाएगी यदि वह उसके लिए विहित भविष्की समान्ति के पश्चात् की जाती है

परन्तु विहित अविध की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील उस देशा में ग्रहण की जा सकेगी यदि अपीलार्थी, परिषद् का यह समाधान कर देता है कि उसकेपास विहित अविध के भीतर अपील न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।

- (3) इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक अपील ऐसे प्ररूप में की जाएगी और उसके साथ उस आदेश की प्रति जिसके विरुद्ध अपील की गई है और ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए।
  - (4) ग्रपील को निपटाने की प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाए :

परन्तु ग्रपील को नामंजूर करने से पहले ग्रपीलार्थी को ग्रपना मामला प्रस्तुत करने का उचित ग्रवसर दिया जाएगा ।

(5) परिषद् उस ग्रादेश की, जिसके विरुद्ध श्रपील की गई है, पुष्टि कर सकेगी या उसको उलट सकेगी ।

្រីបើទេ កែស៊ីទី៧

### in the large of the state of th

### परिषद् के निकाये

19. (1) परिषद्, कार्यकारिणी समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का कार्यकारिणी। अविशिष्ट से कृत्यों का निर्वहन के लिए गठन करेगी जीउसे परिषद् द्वारा सौंपे जाएं या सीमिति। विनियमों द्वारा प्रवधारित किए जाएं।

। जिला अधिक प्रांतिक (vi)

- (2) कार्यकारिणी समिति निम्निलिखिते सिंदस्यों किसे श्रीमलिकर (विनेगी, मर्यात् : १९७३) १००० १००० (१८)
  - (क) ग्रध्यक्ष ;
  - স্থান্ত জুলাই সাজান এল ই নিজাল ক্ষেত্ৰত সাহ প্ৰাচীৰ (c) ভালাই জ্বাহাৰ প্ৰাচী কৰা বিভাগ কৰা কৰা কৰা কৰা কৰিছে কৰিছে কৰা কৰিছে কৰিছে কৰিছে কৰিছে কৰিছে কৰিছে কৰিছে কৰিছে
    - (ग) सदस्य-सचिव ;
    - ्ष्य भारत सरकार के शिक्षा से संबंधित विभाग का सचिव, पदेन ;
  - (छ) सचिव, विश्वविद्यालय श्रनुदान श्रायोग, पदेन ;
  - ्राह्म (च्र) निर्देशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान श्रीरं प्रशिक्षण परिषद्। पवेन ;
  - ्रिक्त (छ) भारत सरकार को शिक्षा से संबंधित विभाग में वित्त सलाहकार, पदेन
  - (ज) ग्रध्यापक शिक्षा में चार विशेषज्ञ, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे के कि कि कि कि कि कि कि कि
  - (झ) चार राज्य प्रतिनिधि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी रीति से नामनिर्देशित किए जाएंगे, जो विहित की जाए ;
  - (ञा) प्रादेशिक समितियों के श्रध्यक्ष । सर्वेका पीटा १९१४ प्रतिकार पार्टिक १० ५० ५०० व्यक्तिया (क)
- (3) परिषद् के अध्यक्ष और सदस्य-संचिव, कार्यकारिणी समिति के अभगः अध्यक्ष और सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे
- (4) परिषद् का अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उसका उपाध्यक्ष, कार्य-कारिणी समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में, अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना गया। कोई अन्य सदस्य, अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।
- (5) कार्यकारिणी समिति के प्रधिवेशनों में कारवार के संव्यवहार के लिए ने प्रावश्यक गणपूर्ति वह होगी, जो विनियमोद्वारा ग्रधिकथित की जाए।
- (6) वार्यकारिणी समिति, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों के लिए, जो के विनियमों द्वारा, प्रविधारित किए जाएं, दो से अनिधिक ऐसे व्यक्तियों को, जिनकी सहायता और सलाह की वह कार्यकारिणी समिति को सौंपे गएं कृत्यों में से किसी को को कार्यान्वित करने में बाछा करे, सहयोजित कर सकेगी

परन्तु किसी प्रयोजन के लिए कार्यकारिणी समिति द्वारा सहयोजित व्यक्तियों को, उस प्रयोजन से सुसंगत वर्षा में भाग लेने का मधिकार होगा किन्तु उन्हें कार्यकारिणी समिति के किसी मधिवेशत में मत देने का मधिकार नहीं होगा और वे किसी प्रत्य प्रयोजन के लिए सदस्य नहीं होंगे।

(7) परिषद, यदि भावश्यक समझती है तो, ऐसी भन्य समितियों की ऐसे विनिदिष्ट प्रयोजने के लिए, जो वह ठीक सुमर्ते, स्थापुदा कर सकेगी।

, the proprietable are then the

20. (1) परिषद्, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित प्रादेशिक समितियाँ स्मापित करेगी, प्रथति, :-there had better the by

- (i) पूर्वी प्रादेशिक समिति ;
- ्रां (ii) अभिनामी प्रादेशिक समिति और ११ किए विकास (६)
  - (iii) उत्तरी प्रादेशिक समिति ; धौर
  - (iv) दक्षिणी प्रादेशिक समिति।
- (2) परिषद् यदि आवश्यक समझती है तो, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से, ऐसी भन्य प्रादेशिक समितियां जो वह ठीक समझे, स्यापित कर सकेगी । ; profit serve to
  - (3) प्रादेशिक समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, मर्थात :-
    - (क) परिषद् द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला एक सदस्य The latest training appropriate articles.
  - (ख) प्रदेश के प्रत्येक राज्य भीर संघ राज्यक्षेत्र से एक-एक प्रतिनिधि, जिनका मामनिर्देशन संबंधित राज्यों भौर संबंधिरायक्षेत्रों) द्वारा किया जाएगा ;
  - ्य (स) इतमी संख्या में ऐसे व्यक्ति, जिनके प्रास अध्यापक शिक्षा से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान और अनुभव है, जितने विनियमों हांश अवस्थिति किए जाएं।
  - रोमर्ग अध्यास रेट , व्यक्ति दोन व गार्क समावस (क) (4) परिषद्, संबंधित प्रादेशिक समिति के सदस्यों में से एक का, उक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में कृत्य करने के लिए, नामनिर्देशन करेगी। Some the recognition of the parties where
- (5) खंड (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों की पदाविध और ऐसे सदस्यों की संदेय भत्ते वेहोंगे, जो विनियमों द्वारा भवधारित किए जाएं।
- o flycolo de Andreia de Africa (1995) e e (6) प्रादेशिक समिति, धारा 14, धारा 15 श्रीर धारा 17 के श्रधीन अपने कृत्यों के सुतिरिक्त ऐसे श्रन्य कृत्यों का पालन करेगी; जोजपरिलद् व द्वारा उसे सीपे जाएँ या जो विनियमों द्वारा अवधारित किए बाएं कि १९४३ अपि अवस्था अवस्थ
- (१) किसी प्राप्टेशिक समिति के कृत्य, उसके द्वारा प्रनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया, उसकी प्रादेशिक ग्रधिकारिता और उसके सदस्यों में प्राकस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति वह होगी, जो विनियमी द्वारा प्रविद्वारित की जाए ।

प्रादेशिक समिति समाप्त करने की शनित।

- 21. (1) यदि परिषद् की यह राय है कि प्रादेशिक समिति इस प्रधिन नियम द्वारा या उसके प्रधीन उस पर मुधिरीपित कर्तव्यों का पालन करने में प्रसम्य है या उसने उनका पालन करने में वार-वार व्यक्तिकम किया है या प्रपती शक्तियों का ग्रतिक्रमण या दुरुपयोग किया है या वह इस ग्रधिनियम में उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए परिषद् द्वारा जारी किए गए किसी निर्देश का पालन मरने में जासबूझकर प्रथवा पर्याप्त हेत्क के बिना प्रसफल हो गई है तो परिषद्, राजपत में मधिमूचना द्वारा, प्रावेशिक समिति को तत्काल समाप्त कर सकेगी ।
  - (2) उपधारा (1) के मधीन मधिसूचना के प्रकाशन पर,--
  - क्ते) प्रादेशिक समिति के सभी सदस्य, इस बात के होते हुए भी कि चनकी पदावधि समाप्त नहीं हुई है, समाप्ति भी तारीख से ही ऐसे सदस्य के रूप में प्रपने वद रिक्त कर देंगे हैं भीर

(ख) वे सभी शक्तियां और कर्तव्य, जिनका प्रयोग या पालन इस प्राधितियम के उपबंधों द्वारा या उनके प्रधीन प्रादेशिक समिति द्वारा या उसकी भीर से किया जा सकता है, उस भविध के दौरान जब उसके सदस्यों की पदावधि समाप्त कर दी गई है, उनका प्रयोग या पालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा, जिन्हें परिषद् निरिष्ट करें।

(3) परिषद्, उपधारा (2) के अबीत अधिसूत्रना के प्रकाशन के पश्चात किसी भी समय, घारा 20 की उपवारा (3) में उपविधत रीति से प्रादेशिक समिति का पूनर्गठन कर सकेगी:

परन्तु परिषद्, पुनर्गठित प्रादेशिक समिति के सदस्य के रूप में किसी ऐसे क्यन्ति को नियुक्त करने के लिए सक्षम होगी जो ऐसी प्रादेशिक समिति का सदस्य था जिसे समाप्त कर दिया गया था । प्राथा द

22. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त संतद् द्वारा, विधि द्वारा, सम्यक् विनियोग परिषद् को संदाय किए आने के पश्चात, परिषद् को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में उत्ती धनराशियों का सदाय कर सकेगी जितनी इस प्रावानियम के प्रावीन परिषद् के इत्यों के पालन के लिए भावश्यक समझी जाए।

- and principle from the first the principle in the 23. (1) परिषद् की भानी निधि होगी भीर वे सभी धनराशिया, जो परिषद् की निधि 1 समय-समय पर केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा उसे सदत्त की जाए तथा परिषद् की सभी प्राप्तियां, जिनके प्रस्तर्गत ऐसी धन यशि भी है जिसे भारत में या विदेश में नोई प्रत्य प्राधिनारी या न्यानत परिषद् नी सदत करे, उस निधि में जमा की जाएंगी और परिषद् द्वारा सभी सदाय उसमें से किए जाएंगे।
  - (2) निधि की सभी रकमें, ऐसे बैकों में जमा की जाएंगी या ऐसी रीति से विनिहित की जाएगी, जो परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाएँ।
- म्यान (3) परिषद्, इसं ग्रविनियम के मधीन अपने कृत्यों का पालन करते के निए उत्ती टाशियां न्यंय कर समेगी निवनी वह ठीन समझे, भीर ऐसी राशियां ्परिषद् की निधि में से संदेय व्यय मानी जाएंगी।

ह 24. परिषद्, प्रत्येक वर्ष ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो बिह्ति किया ज्यमाएं, ग्रामामी वित्तीय वर्ष की बाबत प्राक्कांसत प्राप्तिया भीर व्यव दियत करते हु ए एक बजट तैयार करेगी और उनकी प्रतिया किन्द्रीय सरकार की भेजी जाएंगी।

परिषद् का बजट।

A STORY THE STATE 25 परिषद्, प्रत्येक वर्ष में एक बार ऐसे प्ररूप में श्रीर ऐसे समय पर, जो ाविहित किया जाए, पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अन्ते कियाकलामों का सही और पूरा विवरण देते हुए वाषिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उतकी प्रतियां केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएँगी तथा वह सरकार उन्हें संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रख-

वार्षिक रिपोर्ट ।

क्ति 26. (1) परिषद्, ऐसी लेखा बहियां ऐसे प्ररूप में श्रीर ऐसी रीति से ्रिखवाएंगी, नो केंद्रीय सरकार, भारत के नियंतक महालेखामरीक्षक के परामर्श से विहित करे।

संपरीक्षा ।

क्षेत्र ा(2) परिषद्, प्रपने वाषिक लेखाओं को बन्द करने के पश्चात्, यथाशोध्न, क्रिकेट अरूपामें जिल्ला विवरण तैयार करेनी भ्रौर उसे भारत के नियंत्रक-महा-क्रिकापिशिक को ऐसी तारीख तक भेजेगी, जो केन्द्रीय सरकार, नियंत्रक महालेखा-कर्णमान्त्रका प्रामणं सं प्रवधारित करे ।

- 1/3 (3) परिषद् के लेखाओं की संपरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे समय पर और ऐसी रीति से, जो वह ठीक समझे, की जाएगी।
- (4) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमिन्न नियुक्त किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित परिषद् के लेखे और उसके सबंध में संपरीक्षा रिपोर्ट प्रति वर्ष केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी और वह सरकार उसे संसद् के दोनों सदनी के समक्ष रखवाएगी ।

श्रध्याय:७ कि अन्य विक्रीति वर्ष विक्रिय

शक्तियों कृत्यों का प्रत्या-योजन ।

किन्द्रे किन्द्रे भे एक के के किन्द्र करते हैं की जेंद्र है अपने हैं किन्द्रें किन्द्रें के किन्द्रें किन्द्रे भीर 27. परिषद्, लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश द्वारा, आदेशिक समिति के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या किसी अधिकारी को, ऐसी फार्ती ग्रीर परिसीमाओं के, यदि कोई हो, जो भ्रादेश में विनिर्दिष्ट की जाए, रहते हुए, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों और कृत्यों को, (सिवाय धारा 32 के श्रधीन वितियम बनाने की शक्ति के) जो वह श्रावश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगी।

गई कार्रवाई के 🚎 लिए संरक्षण।

75.75

i Mill in pich

सद्भावपूर्वक की 28. इस. अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमी या विनियमों के अधीत सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आश्रयित किसी बात के लिए कोई श्रमियोजन या श्रन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार, परिषद् या उसके द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों या परिषद् या ऐसी समितियों के किसी सदस्य या केन्द्रीय सरकार या परिषद् के किसी अधिकारी या कर्मचारी या उस सरकार या परिषद् ्रहारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के विरुद्ध में होगी कि प्रकार (2)

द्वारा निदेश।

- केन्द्रीय सरकार 29 (1) परिषद्, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्त्व्यों के निर्वहत में नीति संबंधी प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से श्राबद्ध होगी जो केन्द्रीय सरकार, । ज़िसे समय समय पर, लिखित कप में दे।
  - (2) इस बाबत कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, केन्द्रीय सरकार का विनिश्चेय अतिम होता । अध्यक्ष राज्य भागी का अध्यक्ष के कार्य के

शक्ति ।

30. (1) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि परिषद् इस अधिनियम् परिषद् को अतिब है हारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों का पालन करने भी असमर्थ की है या उसने उनका पालन करने में बार-बार व्यतिकम किया है या श्रुपनी शक्तियों का अतिकमण या दुरुपयोग किया है, या वह केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 29 के श्रधीन दिए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में जानबूझकर अथवा ाप्याध्वि हेतुक के विता असर्फल हो गई है 'तो केन्द्रीय सरकार) राजपत में श्रिधिसूचना द्वारा, परिषद् को ऐसी अवधि के लिए, जी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट । क्षी जाएं अतिष्ठितः करे सकेगी । कि कार का कि का का कि का का का कि कि

परिवाद का बनस्य भ

परन्तु केन्द्रीय सरकार, इस उपधारा के प्रधीन श्रधिसूचना निकालने के ्पूर्व, परिषद् को पह हेतुक दिशत करने के लिए उचित अवसर देगी कि उसे ्च्यों न श्रुतिष्ठित कर दिया जाए श्रीर परिषद् के साष्टीकरण श्रीर श्राक्षेप्रोजपर, प्रयदिः कोई है, विचार करेगी प्रान्तिक एक है है। जिस्सी को कि एक प्राप्ति

! 阿特斯勒姆斯

(2) उपधारा (1) के ग्रधीन परिषद् को ग्रतिष्ठित करने वाली ग्रीधसुचना

1 73673

270

- प्रें निर्मा के (क) परिषद् के सभी सदस्य, इसे वात् के होते हुए भी क्वि उनकी वस्विधि समाप्त अनहीं हुई है, अतिष्ठित किए जाने की तारीखासे ही ऐसे सदस्य के रूप में ग्रपने पद रिक्त कर देंगे ;
- ्राहिकार कृति(ख) में सभी शक्तियां और कर्तव्य, जिनका प्रयोग या पालन इस - उन्देश धिनियम के जप वधों द्वारा या उनके अधीन परिषद् द्वारा या उसकी और के दौरान, उनका प्रयोग था प्रालन ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा जिन्हें केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे

- (ग) परिषद् में निहित सब संपत्ति, अति हैंटित काल के दौरीन केन्द्रीय सरकार में निहित रहेगी ।
- (3) केन्द्रीय सरकार, उपवारा (1) के सवीन निकाली गई स्रिधिसूचना मिं विनिद्धित स्रितिकित की संगापित प्रस्चना १ १ १००० (१)
- कि प्रतिष्ठिति काल को ऐसी और प्रविध तक बढ़ा सकेगी जो, वह आवश्यक समझे ; या
- कि कि (ख) धारा 3 में उपबंधित रीति से परिषद् की पुनर्गठन कर सकेगी।
- 31. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत में अधिसूचना द्वारा, इस अधितियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

नियम बनाने की शक्ति।

- िक्ष (2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रभाव के डाले विनाः ऐसे नियमों में नियनलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उप-बंध किया जा सकेगा। प्रयात् :—
  - (क) बहु रीति, जिससे केन्द्रीय सरकार को धारा /3, की उपधार / (4) के खंड (ड) के उपखण्ड (V) के ग्रधीन, परिषद् के लिए न्विशेषत
- (ख) वह रीति, जिससे केन्द्रीय सरकार घारा 3 की उपधारा (4) के खंड (द) के प्रधीन राज्यों श्रीर सर्व राज्यक्ष न प्रशासनों से परिषद्
- (ग) धारा 4 की उपधारा (3) के ग्रधीन ग्रन्थस, जनाध्यक्ष ग्रौर सदस्य-सचिव की ग्रौर उसकी उपधारा (4) के ग्रधीन सदस्यों की सेवा
- (घ) धारा 4 की उपधारा (७) के अधीन अध्यक्ष की शक्तियां
  - (ङ) वह रीति जिससे और वे व्यक्ति जिनके द्वारा संस्था का निरीक्षण किया जाना है आर वह रीति जिससे संस्था की धारा 13 की जपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रधीन ऐसे निरीक्षण में सहयोजित किया जाना है;
- ्रि (च) घारा 14 की उपधारा (2) के ग्रंबीन मान्यता प्राप्त कर ने कि जिल्ला को जिल्ला के जिल्ला को जिल्ला को जिल्ला के जिल्ला को जिल्ला के जिल्ला के
- (छ) घारा 18 की उपधारा (i) के ग्रधीन ग्रपील के लिए परि-; जीता की अवधि, उस धारा की उपधारा (3) के ग्रधीन वह प्रकृष जिसमें ग्रपील की जाएगी ग्राँर उसके लिए संदेय फ़ीस ग्रोर उस धारा कि जी उपधारा (4) के ग्रधीन ग्रपील को निपटान के लिए प्रक्रिया;
- (ज) वह रीति, जिससे केन्द्रीय सरकार द्वारा, धारा 19 की जुपधारा (2) के खंड (झ) के ग्रधीन कार्यकारिणी समिति में राज्य प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट किया जाना है ;
- (झ) वह प्ररूप, जिसमें ग्रीर वह समय, जिसके भीतर धारी 24 के श्रधीन बजट ग्रीर धारा 25 के श्रधीन परिषद् की वार्षिक रिपोर्ट रितेयार की जानी है;
  - (ञा) वह रीति, जिससे भौर वह प्ररूप, जिसमें परिषद्भ के जिला धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन बनाए रखा जाना है ;
- नेपार पाल (ट) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाता है या जिसे विहित किया जाए।
- िक्षी 32 (1) परिषद् इस अधिनियम के उपबंधों को साधारणतया कार्यान्वित किरोने के लिए राजपत में अधिसूचना द्वारा, ऐसे विनियम बना सके ही, जी इस भिधिनियम भौर उसके अधीन बनाए गए नियमों से असंगत नहीं।

विनियम बनाने की शक्ति।

- (2) विशिष्ट्रतया श्रीर पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकृत प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, श्रथात्:—
  - (क) धारा 7 की उपधारा (1) के भ्रधीन परिषद् के श्रधिवेशनों के समय और स्थान को और उसमें कार्य संज्ञालन के लिए प्रक्रिया को विनियमित करना ;
  - (ख) वह रीति जिससे भीर के प्रयोजन जिनके लिए व्यक्तियों को भारा 9 की उपधारा (1) के प्रधीन परिषद द्वारा सहयोजित किया जा सकेगा ;
- ्रा) पारा 10 की प्रपाता (1) मीर उपधारा (2) के अधीन क्रिया प्रिय के अधीन क्रिया प्रिय के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति, सेवा के निवंधन और शर्ते;
- (भ) निम्नलिखित के सर्वेद्य में मानक, मार्गदर्शक सिद्धार्त, और स्तरमान,—
  - (i) मारा 12 के खंड (प) के अधीत अध्यापक के रूप में नियोजित किए जाने बाले के किए न्यूनतम अहेताएं.
    - (ii) धारा 12 के खंड (ह) के प्रश्नीन प्रध्यापक शिक्षा में पाठ्यक्तों या प्रशिक्षण का निनिदिष्ट प्रवृष्ट,
    - (iii) धारा 12 के खंड (च) के प्रधीन मान्यताप्राप्त संस्थाओं में नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण ग्रारंभ करता,
      - (iv) घारा 12 के खंड (छ) में निर्दिष्ट मध्यापक शिक्षा श्रहताश्रों की परीक्षाश्रों की बावत स्तरमान,
- (Y) धारा 12 के खर (ज) के मधीन संस्थाओं द्वारा प्रभार्य अध्यापन फीस भीर प्रन्य फीस,
- (vi) मध्यापक शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए स्कीमें और आरा 12 के खंड (ट) के मधीन मध्यापक विकास कार्यक्रम की प्रस्थापना के लिए संस्थायों का पता लगाना ;
- (ह) वह प्ररूप, जिसमें ग्रीर वह शीत जिमसे धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन मान्यता के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाना है ;
  - (स) धारा 14 की अपधारा (3) के खंड (क) के प्रधीन संस्था के समुचित कृत्यकरण के लिए अपेक्षित गर्ते और मान्यता मंजूर करने के लिए शर्ते ;
  - (छ) वह प्ररूप, जिसमें ग्रीर वह गीत जिससे धारा 15 की उपधारा (1) के प्रधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन किया जाना है;
  - (ज) धारा 15 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन नए पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण के उचित रूप में संचालन के लिए अपेक्षित शर्ते और अनुशा देने के लिए शर्ते;
    - (क्त) वे कृत्य, जो धारा 19 की उपधारा (1) के मधीन कार्य-कारिणी समिति को परिषद द्वारा सीपे जासकों। ;
  - (ञा) धारा 19 की उपधारा (5) के ग्रधीन कार्यकारिणी समिति के ग्रिविविशनों में कारबार के संव्यवहार के लिए ग्रावश्यक प्रक्रिया भौर मणपूर्ति ;

- (ट) वह रीति जिससे और वे प्रयोजन जिनके लिए कार्यकारिणी समिति घारा 19 की उपधारा (6) के प्रधीन व्यक्तियों को सहयोजित कर सकेगी;
- (ठ) घारा 20 की उपधारा (3) के खंड (ग) के प्रधीन व्यक्तियों की संख्या ;
- (ड) धारा 20 की उपधारा (5) के प्रधीन सदस्यों की पदावधि ग्रीर जनको संदेय भत्ते ;
- (ढ) धारा 20 की उपधारा (6) के अधीन प्रादेशिक समिति द्वारा पालन किए जाने वाले भतिरिक्त कृत्य ;
- (ण) धारा 20 की उपदारा (7) के प्रधीन प्रादेशिक समिति के कृत्य, उसके द्वारा प्रनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया, उसकी क्षेत्रीय प्रधिक्कारिता ग्रीर उसके सदस्यों में ग्राकिस्मिक रिक्तियों को भरने की रीति ;
- (त) कोई ग्रन्य विषय, जिसके संबंध में विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या किया जाए ।

33. इस प्रधिनियम के प्रधीन बनाया गया प्रत्येक नियम श्रीर प्रत्येक विनयम बनाए जाने के पश्चात् यथाशी झ, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की श्रविध के लिए रखा जाएगा । यह श्रविध एक सत्र में श्रयवा दो या श्रविक श्रानुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त श्रानुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त श्रानुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के श्रवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत्र हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उसत्र श्रवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा । किंतु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके श्रधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

नियमों भीर विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

34. (1) यदि इस प्रधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित घादेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस घिविनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए ग्रावश्यक प्रतीत हों:

कठिनाइयों की दूर करने की मन्ति ।

परन्तु इस धारा के ग्रधीन कोई ग्रादेश इस ग्रधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं निकाला जाएगा ।

(2) इस धारा के ग्रधीन निकाला गया प्रत्येक ग्रादेश, निकाले जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।



### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 1 PART II—Section 1 ँप्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 124] No. 124] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 30, 1993/पौष 9, 1915 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 1993/PAUSA 9, 1915

इस भाग में भिन्न पूछ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

### MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

New Delhi, the 30th December, 1993/Pausa 9, 1915 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 29th December, 1993, and is hereby published for general information:—

# THE NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION ACT, 1993

No. 73 of 1993

[29th December, 1993.]

An Act to provide for the establishment of a National Council for Teacher Education with a view to achieving planned and co-ordinated development of the teacher education system throughout the country, the regulation and proper maintenance of norms and standards in the teacher education system and for matters connected therewith.

BE it enacted by Parliament in the Forty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

### CHAPTER I

### PRELIMINARY

1. (1) This Act may be called the National Council for Teacher Education Act, 1993.

(2) It extends to the whole of India. except the State of Jammu and Kashmir.

Short title, extent and commence mention

3 of 1956.

(3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

Defini-

- 2. In this Act, unless the context otherwise requires,
- (a) "appointed day" means the date of establishment of the National Council for Teacher Education under sub-section (1) of section 3:
- (b) "Chairperson" means the Chairperson of the Council appointed under clause (a) of sub-section (4) of section 3;
- (c) "Council" means the National Council for Teacher Education established under sub-section (1) of section 3;
- (d) "examining body" means a University, agency or authority to which an institution is affiliated for conducting examinations in teacher education qualifications;
- (e) "institution" means an institution which offers courses or training in teacher education;
- (f) "Member" means a Member of the Council and includes the Chairperson and Vice-Chairperson;
- (g) "Member-Secretary" means the Member-Secretary of the Council appointed under clause (c) of sub-section (4) of section 3;
- (h) "prescribed" means prescribed by rules made under section 31:
- (i) "recognised institution" means an institution recognised by the Council under section 14;
- (j) "Regional Committee" means a committee established under section 20;
  - (k) "regulations" means regulations made under section 32;
- (1) "teacher education" means programmes of education, research or training of persons for equipping them to teach at pre-primary, primary, secondary and senior secondary stages in schools, and includes non-formal education, part-time education, adult education and correspondence education;
- (m) "teacher education qualification" means a degree, diploma or certificate in teacher education awarded by a University or examining body in accordance with the provisions of this Act;
- (n) "University" means a University defined under clause (f) of section 2 of the University Grants Commission Act, 1956, and includes an institution deemed to be a University under section 3 of that Act;

(o) "Vice-Chairperson" means the Vice-Chairperson of the Council appointed under clause (b) of sub-section (4) of section 3.

### CHAPTER II

### ESTABLISHMENT OF THE COUNCIL

Establishment of the Council. 3. (1) With effect from such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint, there shall be established a Council to be called the National Council for Teacher Education.

21

- (2) The Council shall be a body corporate by the name aforesaid, having perpetual succession and a common seal with power to contract and shall, by the said name, sue and be sued.
- (3) The head office of the Council shall be at Delhi and the Council may, with the previous approval of the Central Government, establish regional offices at other places in India.
  - (4) The Council shall consist of the following Members, namely:
    - (a) a Chairperson to be appointed by the Central Government;
  - (b) a Vice-Chairperson to be appointed by the Central Government;
  - (c) a Member-Secretary to be appointed by the Central Government;
  - (d) the Secretary to the Government of India in the Department dealing with Education ex officio;
  - (e) the Chairman, University Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956 or a member thereof nominated by him, ex-officio;
  - (f) the Director, National Council of Educational Research and Training, ex officio;
  - (g) the Director, National Institute of Educational Planning and Administration, ex officio;
    - (h) the Adviser (Education), Planning Commission, ex officio;
  - (i) the Chairman, Central Boards of Secondary Education, exofficio;
  - (j) the Financial Adviser to the Government of India in the Department dealing with Education, ex officio;
  - (k) the Member-Secretary, All-India Council for Technical Education, ex officio;
    - (1) the Chairpersons of all Regional Committees, ex officio;
  - (m) thirteen persons possessing experience and knowledge in the field of education or teaching to be appointed by the Central Government as under, from amongst the—
    - (i) Deans of Faculties of Education and Professors
      of Education in Universities —Four;
    - (ii) experts in secondary teacher education —One:
    - (iii) experts in pre-primary and primary teacher education —Three;
    - (iv) experts in non-formal education and adult education —Two;
    - (v) experts in the field of natural sciences, social sciences, linguistics, vocational education, work experience, educational technology and special education, by rotation, in the manner prescribed —Three;

3 of 1956.

- (n) nine Members to be appointed by the Central Government to represent the States and the Union territory Administrations in the manner prescribed;
- (o) three Members of Parliament of whom one shall be nominated by the Chairman of the Council of States and two by the Speaker of the House of the People;
- (p) three Members to be appointed by the Central Government from amongst teachers of primary and secondary education teachers of recognised institutions.
- (5) It is hereby declared that the office of the Member of the Council shall not disqualify its holder for being chosen as or for being a member of either House of Parliament.
- 4. (1) The Chairperson, Vice-Chairperson and the Member-Secretary shall hold office on a full-time basis.
- (2) The term of office of the Chairperson, the Vice-Chairperson and the Member-Secretary shall be four years, or till they complete the age of sixty years, whichever is earlier.
- (3) The conditions of service of the Chairperson, the Vice-Chairperson and the Member-Secretary shall be such as may be prescribed.
- (4) The term of office of Members Tother than the Members specified in clauses (a) to (l) and clauses (n) and (o) of sub-section (4) of section 3] shall be two years or till fresh appointments are made, whichever is later, and other conditions of service of such Members shall be such as may be prescribed.
- (5) If a casual vacancy occurs in the office of Chairperson, whether by reason of death, resignation or inability to discharge the functions of a Chairperson owing to illness or other incapacity, the Vice-Chairperson holding office as such for the time being, shall act as the Chairperson and shall, unless any other person is appointed earlier as Chairperson, hold office of the Chairperson for the remainder of the term of office of the person in whose place the said person is to so act.
- (6) If a casual vacancy occurs in the office of the Vice-Chairperson or any other Member, whether by reason of death, resignation or inability to discharge his functions owing to illness or other incapacity, such vacancy shall be filled up by making fresh appointment and the person so appointed shall hold office for the remainder of the term of the office of the person in whose place such person is so appointed.
- (7) The Chairperson shall, in addition to presiding over the meetings of the Council, exercise and discharge such powers and duties of the Council as may be delegated to him by the Council and such other powers and duties as may be prescribed.
- (8) The Vice-Chairperson shall perform such functions as may be assigned to him by the Chairperson from time to time.
- 5. A person shall be disqualified for being appointed as a Member if he-
  - (a) has been convicted and sentenced to imprisonment for an offence, which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude; or

Term of office and conditions of service of Members.

Disquali-

fication for office

of Mem-

ber.

- (b) is an undischarged insolvent; or
- (c) is of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
  - (d) has been removed or dismissed from the service of the Government or a body corporate owned or controlled by the Government; or
  - (e) has in the opinion of the Central Government such financial or other interest in the Council as is likely to affect prejudicially the discharge by him of his functions as a Member.
- 6. The Central Government shall remove a Member if he-

Vacation of office of Member.

(a) becomes subject to any of the disqualifications mentioned in section 5:

Provided that no Member shall be removed on the ground that he has become subject to the disqualification mentioned in clause (e) of that section, unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter; or

- (b) refuses to act or becomes incapable of acting; or
- (c) is, without obtaining leave of absence from the Council, absent from three consecutive meetings of the Council; or
- (d) in the opinion of the Central Government, has so abused his position as to render his continuance in office detrimental to the public interest:

Provided that no Member shall be removed under this clause unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

7. (1) The Council shall meet at such time and places, and shall observe such rules of procedure in regard to the transaction of business at its meetings (including the quorum at such meetings) as may be provided by regulations:

Meetings of the Council

Provided that the Council shall meet at least once every year.

- (2) The Chairperson, and in the absence of the Chairperson, the Vice-Chairperson shall preside at the meetings of the Council.
- (3) If for any reason the Chairperson and the Vice-Chairperson, both are unable to attend any meeting of the Council, any other Member chosen by the Members present at the meeting shall preside at that meeting.
- (4) All questions which come up before any meeting of the Council shall be decided by a majority of votes of the Members present and voting and in the event of any equality of votes, the Chairperson, or in the absence of the Chairperson the person presiding, shall have and exercise a second or casting vote.

Vacancies, etc., not to invalidate proceedings of the Council.

- 8. No act or proceeding of the Council shall be invalid merely by reason of—
  - (a) any vacancy in, or any defect in the constitution of, the Council; or
  - (b) any defect in the appointment of a person acting as a Member of the Council; or
  - (c) any irregularity in the procedure of the Council not affecting the merits of the case.

Power to co-opt.

- 9. (1) The Council may co-opt, in such manner and for such purposes as may be determined by regulations, not more than three persons, whose assistance or advice it may desire in carrying out any of the provisions of this Act.
- (2) The person co-opted by the Council under sub-section (1) for any purpose shall have a right to take part in the discussions relevant to that purpose, but shall not have a right to vote at a meeting of the Council, and shall not be a Member for any other purpose.

Appointment of officers and other employees of the Council.

10. (1) For the purpose of enabling the Council to discharge its functions efficiently under this Act, the Council shall, subject to such regulations as may be made in this behalf, appoint (whether on deputation or otherwise) such number of officers and other employees as it may consider necessary:

Provided that the category of posts equivalent to Group 'A' posts in the Central Government shall be subject to the approval of the Central Government.

(2) Every officer or other employee appointed by the Council shall be subject to such conditions of service as may be determined by regulations

Authentication of the orders and other instruments of the Council.

11. All orders and decisions of the Council shall be authenticated by the signature of the Chairperson or any other Member authorised by the Council in this behalf, and all other instruments issued by the Council shall be authenticated by the signature of the Member-Secretary or any other officer of the Council authorised in like manner in this behalf by the Chairperson.

### CHAPTER III

### FUNCTIONS OF THE COUNCIL

Functions of the Council.

- 12. It shall be the duty of the Council to take all such steps as it may think fit for ensuring planned and co-ordinated development of teacher education and for the determination and maintenance of standards for teacher education and for the purposes of performing its functions under this Act, the Council may—
  - (a) undertake surveys and studies relating to various aspects of teacher education and publish the result thereof;
  - (b) make recommendations to the Central and State Governments, Universities, University Grants Commission and recognised institutions in the matter of preparation of suitable plans and programmes in the field of teacher education:

- (c) co-ordinate and monitor teacher education and its development in the country;
- (d) lay down guidelines in respect of minimum qualifications for a person to be employed as a teacher in schools or in recognised institutions:
- (e) lay down norms for any specified category of courses or trainings in teacher education, including the minimum eligibility criteria for admission thereof, and the method of selection of candidates, duration of the course, course contents and mode of curriculum;
- (f) lay down guidelines for compliance by recognised institutions, for starting new courses or training, and for providing physical and instructional facilities, staffing pattern and staff qualifications;
- (g) lay down standards in respect of examinations leading to teacher education qualifications, criteria for admission to such examinations and schemes of courses or training;
- (h) lay down guidelines regarding tuition fees and other fees chargeable by recognised institutions;
- (i) promote and conduct innovation and research in various areas of teacher education and disseminate the results thereof:
- (j) examine and review periodically the implementation of the norms, guidelines and standards laid down by the Council, and to suitably advise the recognised institutions:
- (k) evolve suitable performance appraisal systems, norms and mechanisms for enforcing accountability on recognised institutions;
- (1) formulate schemes for various levels of teacher education and identify recognised institutions and set up new institutions for teacher development programmes;
- (m) take all necessary steps to prevent commercialisation of teacher education; and
- (n) perform such other functions as may be entrusted to it by the Central Government.
- 13. (1) For the purposes of ascertaining whether the recognised institutions are functioning in accordance with the provisions of this Act, the Council may cause inspection of any such institution, to be made by such persons as it may direct, and in such manner as may be prescribed

Inspection.

- (2) The Council shall communicate to the institution the date on which inspection under sub-section (1) is to be made and the institution shall be entitled to be associated with the inspection in such manner as may be prescribed.
- (3) The Council shall communicate to the said institution, its views in regard to the results of any such inspection and may after ascertaining the opinion of that institution, recommend to that institution the action to be taken as a result of such inspection.

(4) All communications to the institution under this section shall be made to the executive authority thereof, and the executive authority of the institution shall report to the Council the action, if any, which is proposed to be taken for the purposes of implementing any such recommendation as is referred to in sub-section (3).

### CHAPTER IV

### RECOGNITION OF TEACHER EDUCATION INSTITUTIONS

Recognition of institutions offering course or training in teacher education. 14. (1) Every institution offering or intending to offer a course or training in teacher education on or after the appointed day, may, for grant of recognition under this Act, make an application to the Regional Committee concerned in such form and in such manner as may be determined by regulations:

Provided that an institution offering a course or training in teacher education immediately before the appointed day, shall be entitled to continue such course or training for a period of six months, if it has made an application for recognition within the said period and until the disposal of the application by the Regional Committee.

- (2) The fee to be paid along with the application under sub-section (1) shall be such as may be prescribed.
- (3) On receipt of an application by the Regional Committee from any institution under sub-section (1), and after obtaining from the institution concerned such other particulars as it may consider necessary, it shall,—
  - (a) if it is satisfied that such institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory and that it fulfils such other conditions required for proper functioning of the institution for a course or training in teacher education, as may be determined by regulations, pass an order granting recognition to such institution, subject to such conditions as may be determined by regulations; or
  - (b) if it is of the opinion that such institution does not fulfil the requirements laid down in sub-clause (a), pass an order refusing recognition to such institution for reasons to be recorded in writing:

Provided that before passing an order under sub-clause (b), the Regional Committee shall provide a reasonable opportunity to the concerned institution for making a written representation.

- (4) Every order granting or refusing recognition to an institution for a course or training in teacher education under sub-section (3) shall be published in the Official Gazette and communicated in writing for appropriate action to such institution and to the concerned examining body, the local authority or the State Government and the Central Government.
- (5) Every institution, in respect of which recognition has been refused shall discontinue the course or training in teacher education from the end of the academic session next following the date of receipt of the order refusing recognition passed under clause (b) of sub-section (3).

- (6) Every examining body shall, on receipt of the order under subsection (4),—
  - (a) grant affiliation to the institution, where recognition has been granted; or
  - (b) cancel the affiliation of the institution, where recognition has been refused.
- 15. (1) Where any recognised institution intends to start any new course or training in teacher education, it may make an application to seek permission therefor to the Regional Committee concerned in such form and in such manner as may be determined by regulations.
- (2) The fees to be paid along with the application under sub-section (1) shall be such as may be prescribed.
- (3) On receipt of an application from an institution under sub-section (1), and after obtaining from the recognised institution such other particulars as may be considered necessary, the Regional Committee shall,...
  - (a) if it is satisfied that such recognised institution has adequate financial resources, accommodation, library, qualified staff, laboratory, and that it fulfils such other conditions required for proper conduct of the new course or training in teacher education, as may be determined by regulations, pass an order granting permission, subject to such conditions as may be determined by regulation; or
  - (b) if it is of the opinion that such institution does not fulfil the requirements laid down in sub-clause (a), pass an order refusing permission to such institution, for reasons to be recorded in writing:

Provided that before passing an order refusing permission under sub-clause (b), the Regional Committee shall provide a reasonable opportunity to the institution concerned for making a written presentation.

- (4) Every order granting or refusing permission to a recognised institution for a new course or training in teacher education under sub-section (3), shall be published in the Official Gazette and communicated in writing for appropriate action to such recognised institution and to the concerned examining body, the local authority, the State Government and the Central Government.
- 16. Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, no examining body shall, on or after the appointed day,-
  - (a) grant affiliation, whether provisional or otherwise, to any institution; or
  - (b) hold examination, whether provisional or otherwise, for a course or training conducted by a recognised institution,

unless the institution concerned has obtained recognition from the Regional Committee concerned, under section 14 or permission for a course or training under section 15.

Permission for a new course or training by recognised institution.

Affilia.

ting body to

grant

affiliätion

after re-

cognition or

permission by the Council

210 G of I-2

Contravention of provisions of the Act and consequences thereof. 17. (1) Where the Regional Committee is, on its own motion or on any representation received from any person, satisfied that a recognised institution has contravened any of the provisions of this Act, or the rules, regulations, orders made or issued thereunder, or any condition subject to which recognition under sub-section (3) of section 14 or permission under sub-section (3) of section 15 was granted, it may withdraw recognition of such recognised institution, for reasons to be recorded in writing:

Provided that no such order against the recognised institution shall be passed unless a reasonable opportunity of making representation against the proposed order has been given to such recognised institution:

Provided further that the order withdrawing or refusing recognition passed by the Regional Committee shall come into force only with effect from the end of the academic session next following the date of communication of such order.

- (2) A copy of every order passed by the Regional Committee under sub-section (1),—
  - (a) shall be communicated to the recognised institution concerned and a copy thereof shall also be forwarded simultaneously to the University or the examining body to which such institution was affiliated for cancelling affiliation; and
  - (b) shall be published in the Official Gazette for general information.
- (3) Once the recognition of a recognised institution is withdrawn under sub-section (1), such institution shall discontinue the course or training in teacher education, and the concerned University or the examining body shall cancel affiliation of the institution in accordance with the order passed under sub-section (1), with effect from the end of the academic session next following the date of communication of the said order.
- (4) If an institution offers any course or training in teacher education after the coming into force of the order withdrawing recognition under sub-section (1), or where an institution offering a course or training in teacher education immediately before the appointed day fails or neglects to obtain recognition or permission under this Act, the qualification in teacher education obtained pursuant to such course or training or after undertaking a course or training in such institution, shall not be treated as a valid qualification for purposes of employment under the Central Government, any State Government or University, or in any school, college or other educational body aided by the Central Government or any State Government.

Appeals,

- 18. (1) Any person aggrieved by an order made under section 14 or section 15 or section 17 of the Act may prefer an appeal to the Council within such period as may be prescribed.
- (2) No appeal shall be admitted if it is preferred after the expiry of the period prescribed therefor:

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the period prescribed therefor, if the appellant satisfies the Council that he

had sufficient cause for not preferring the appeal within the prescribed period.

- (3) Every appeal made under this section shall be made in such form and shall be accompanied by a copy of the order appealed against and by such fees as may be prescribed.
- (4) The procedure for disposing of an appeal shall be such as may be prescribed:

Provided that before disallowing an appeal, the appellant shall be given a reasonable opportunity to represent its case.

(5) The Council may confirm or reverse the order appealed against.

### CHAPTER V

### Bodies of the Council

19. (1) The Council shall constitute a Committee called the Executive Committee for discharging such functions as may be assigned to it by the Council or as may be determined by regulations.

Executive Committee.

- (2) The Executive Committee shall consist of the following members, namely:—
  - (a) the Chairperson;
  - (b) the Vice-Chairperson;
  - (c) the Member-Secretary;
  - (d) the Secretary to the Government of India in the Department dealing with Education, ex officio;
    - (e) the Secretary, University Grants Commission, ex officio;
  - (f) the Director, National Council of Educational Research and Training, ex-officio;
  - (g) the Financial Adviser to the Government of India in the Department dealing with Education, ex-officio;
  - (h) four experts in teacher education to be nominated by the Central Government;
  - (i) four State representatives to be nominated by the Central Government in such manner as may be prescribed;
    - (j) the Chairpersons of the Regional Committees.
- (3) The Chairperson and the Member-Secretary of the Council shall respectively, function as the Chairperson and the Member-Secretary of the Executive Committee.
- (4) The Chairperson or in his absence, the Vice-Chairperson of the Council shall preside at the meetings of the Executive Committee and in the absence of both the Chairperson and the Vice-Chairperson, any other member chosen by the members present at the meeting shall preside at the meeting.

- (5) The quorum necessary for the transaction of business at the meetings of the Executive Committee shall be as laid down by regulations.
- (6) The Executive Committee may co-opt, in such manner and for such purposes, as may be determined by regulations, not more than two persons whose assistance and advice, it may desire in carrying out any of the functions assigned to the Executive Committee:

Provided that the persons co-opted by the Executive Committee for any purpose shall have a right to take part in the discussions relevant to that purpose, but shall not have a right to vote at a meeting of the Executive Committee, and shall not be a member for any other purpose.

(7) The Council may, if it considers necessary, establish such other committees, for such specific purpose, as it may deem fit.

Regional Committees.

- 20. (1) The Council shall, by notification in the Official Gazette, establish the following Regional Committees, namely:—
  - (i) the Eastern Regional Committee;
  - (ii) the Western Regional Committee:
  - (iii) the Northern Regional Committee; and
  - (iv) the Southern Regional Committee.
- (2) The Council may, if it considers necessary, establish with the approval of the Central Government, such other Regional Committees as it may deem fit.
- (3) The Regional Committee shall consist of the following members, namely:—
  - (a) a Member to be nominated by the Council;
  - (b) one representative from each of the States and the Union territories of the region, to be nominated by the respective States and the Union territories;
  - (c) such number of persons, having special knowledge and experience in matters relating to teacher education, as may be determined by regulations.
- (4) The Council shall nominate one of the members of the concerned Regional Committee to function as the chairperson of the said Committee.
- (5) The term of office of the members referred to in clause (c) and the allowances payable to such members shall be such as may be determined by regulations.
- (6) The Regional Committee shall, in addition to its functions under sections 14, 15 and 17, perform such other functions, as may be assigned to it by the Council or as may be determined by regulations.
- (7) The functions of, the procedure to be followed by, the territorial jurisdiction of, and the manner of filling casual vacancies among members of, a Regional Committee shall be such as may be determined by regulations.

21. (1) If the Council is of the opinion that a Regional Committee is unable to perform, or has persistently made default in the performance of the duties imposed on it by or under this Act or has exceeded or abused its powers, or has wilfully or without sufficient cause, failed to comply with any direction issued by the Council for carrying out the provisions of this Act, the Council may, by notification in the Official Gazette, terminate forthwith the Regional Committee.

Power to terminate the Regional Committee.

- (2) Upon the publication of a notification under sub-section (1),—
- (a) all members of the Regional Committee shall, notwithstanding that their term of office had not expired, as from the date of the termination, vacate their office as such members; and
- (b) all the powers and duties which may, by or under the provisions of this Act be exercised or performed by or on behalf of the Regional Committee shall, during the period when the term of office of its members stand terminated, be exercised and performed by such person or persons as the Council may direct.
- (3) The Council may at any time after publication of a notification under sub-section (2), re-constitute the Regional Committee in the manner provided in sub-section (3) of section 20:

Provided that it shall be competent for the Council to appoint any person, who was a member of a Regional Committee which was terminated, as a member of the re-constituted Regional Committee.

### CHAPTER VI

### FINANCE ACCOUNTS AND AUDIT

22. The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, pay to the Council in each financial year such sums as may be considered necessary for the performance of the functions of the Council under this Act.

Payment to the Council.

- 23. (1) The Council shall have its own fund; and all sums which may, from time to time, be paid to it by the Central Government or a State Government and all the receipts of the Council, including any sum which any other authority or person in India or abroad may pay to the Council, shall be credited to the fund and all payments by the Council shall be made therefrom.
- Fund of the Council.
- (2) All moneys belonging to the fund shall be deposited in such banks or invested in such manner as may be decided by the Council.
- (3) The Council may spend such sums as it thinks fit for performing its functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the fund of the Council.
- 24. The Council shall prepare, in such form and at such time each year as may be prescribed, a budget in respect of the financial year next ensuing, showing the estimated receipts and expenditure, and copies thereof shall be forwarded to the Central Government.

Budget of the Council.

25. The Council shall prepare once every year, in such form and at such time as may be prescribed, an annual report giving a true and full account of its activities during the previous year and copies thereof shall

Annual report.

be forwarded to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before both Houses of Parliament.

Accounts and audit.

- 26. (1) The Council shall cause to be maintained such books of account in such form and in such manner as the Central Government may, in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India, prescribe.
- (2) The Council shall, as soon as may be, after closing its annual accounts, prepare a statement of accounts in such form and forward the same to the Comptroller and Auditor-General of India by such date as the Central Government may, in consultation with the Comptroller and Auditor-General, determine.
- (3) The accounts of the Council shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such times and in such manner as he thinks fit.
- (4) The accounts of the Council as certified by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in this behalf, together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government and that Government shall cause the same to be laid before both Houses of Parliament.

### CHAPTER VII

#### MISCELLANEOUS

Delegation of powers and functions. 27. The Council may, by general or special order in writing, delegate to the chairperson or to any other member or to any officer of the Regional Committee, subject to such conditions and limitations, if any, as may be specified in the order, such of its powers and functions under this Act (except the power to make regulations under section 32), as it may deem necessary.

Protection of action taken in good faith.

28. No prosecution or other legal proceeding shall lie against the Central Government, the Council or any committees appointed by it, or any Member of the Council or member of such committees, or any officer or employee of the Central Government or the Council or any other person authorised by that Government or the Council, for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act or the rules or regulations made thereunder.

Directions by the Central Government,

- 29. (1) The Council shall, in the discharge of its functions and duties under this Act be bound by such directions on questions of policy as the Central Government may give in writing to it from time to time.
- (2) The decision of the Central Government as to whether a question is one of policy or not shall be final.

Power to supersede the Council.

30. (1) If the Central Government is of the opinion that the Council is unable to perform, or has persistently made default in the performance of the duties imposed on it by or under this Act or has exceeded or abused its powers, or has wilfully or without sufficient cause, failed to comply with any direction issued by the Central Government under section 29, the Central Government may, by notification in the Official Gazette, supersede the Council for such period as may be specified in the notification:

Provided that before issuing a notification under this sub-section, the Central Government shall give a reasonable opportunity to the Council to show cause why it should not be superseded and shall consider the explanation and objections, if any, of the Council

- (2) Upon the publication of a notification under sub-section (1) superseding the Council—
  - (a) all the Members of the Council shall, notiwithstanding that their term of office had not expired, as from the date of supersession, vacate their offices as such Members;
  - (b) all the powers and duties which may, by or under the provisions of this Act be exercised or performed by or on behalf of the Council shall, during the period of supersession, be exercised and performed by such person or persons as the Central Government may direct;
  - (c) all property vested in the Council shall, during the period of supersession, vest in the Central Government.
- (3) On the expiry of the period of supersession specified in the notification issued under sub-section (1), the Central Government, may—
  - (a) extend the period of supersession for such further period as it may consider necessary; or
    - (b) re-constitute the Council in the manner provided in section 3.
- 31. (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.

Power to make rules:

- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namey:—
  - (a) the manner in which the Central Government is to appoint experts to the Council under sub-clause (v) of clause (m) of subsection (4) of section (3);
  - (b) the manner in which the Central Government is to appoint Members to the Council from amongst the States and the Union terrority Administrations under clause (n) of sub-section (4) of section 3;
  - (c) the conditions of service of the Chairperson, the Vice-Chairperson and the Member-Secretary under sub-section (3) and of Members under sub-section (4) of section 4;
  - (d) the powers and duties of the Chairperson under sub-section (7) of section 4;
  - (e) the manner in which and the persons by whom the inspection of an institution is to be made and the manner in which the institution is to be associated in such inspection under sub-section (1) and (2) of section 13;

- (f) the fees payable on application for obtaining recognition under sub-section (2) of section 14 and for obtaining permission under sub-section (2) of section 15;
- (g) the period of limitation for an appeal under sum-section (1) of section 18, the form in which such appeal is to be made and the fees payable therefor under sub-section (3) of that section and the procedure for disposal of an appeal under sub-section (4) of that section;
- (h) the manner in which the Central Government is to nominate the State representatives in the Executive Committee under clause (i) of sub-section (2) of section 19;
- (i) the form in which and the time within which the budget under section 24 and the annual report under section 25 of the Council is to be prepared;
- (j) the manner and the form in which the accounts of the Council are to be maintained under sub-section (1) of section 26;
  - (k) any other matter which has to be, or may be, prescribed.

Power to make regulations.

- 32. (1) The Council may, by notification in the Official Gazette, make regulations not inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, generally to carry out the provisions of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may provide for all or any of the following matters, namely:—
  - (a) the time and the place of the meetings of the Council and the procedure for conducting business thereat under sub-section (1) of section 7;
  - (b) the manner in which and the purposes for which persons may be co-opted by the Council under sub-section (1) of section 9;
  - (c) the appointment and terms and conditions of service of officers and other employees of the Council under sub-section (1) and (2) respectively of section 19;
    - (d) the norms, guidelines and standards in respect of-
    - (i) the minimum qualifications for a person to be employed as a teacher under clause (d) of section 12;
    - (ii) the specified category of courses or training in teacher education under clause (e) of section 12;
    - (iii) starting of new courses or training in recognised institutions under clause (f) of section 12;
    - (iv) standards in respect of examinations leading to teacher education qualifications referred to in clause (g) of section 12;
    - ( $\nu$ ), the tuition fees and other fees chargeable by institutions under clause (h) of section 12;

- to stole and (vi) the schemes for various levels of teachers education and identification of institutions for offering teacher development programmes under clause (l) of section 12;
  - (e) the form and the manner in which an application for recognition is to be submitted under sub-section (1) of section 14;
  - (f) conditions required for the proper functioning of the institution and conditions for granting recognition under clause (a), of subsection (3) of section 14;
  - (g) the form and the manner in which an application for permission is to be made under sub-section (1) of section 15;
  - (h) conditions required for the proper conduct of a new course or training and conditions for granting permission under clause (a)of sub-section (3) of section 15;
  - (i) the functions which may be assigned by the Council to the Executive Committee under sub-section (1), of section 19;
  - (j) the procedure and the quorum necessary for transaction of business at the meetings of the Executive Committee under subsection (5) of section 19;
  - (k) the manner in which and the purposes for which the Executive Committee may co-opt persons under sub-section (F) section 19;
  - (i) the number of persons under clause (c) of sub-section (3) of section 20;
  - (m) the term of office and allowances payable under sub-section (5) of section 20;
  - (n) additional functions to be performed by the Regional Commitiee under sub-section (6) of section 20;
  - (o) the functions of the procedure to be followed by the territorial jurisdiction of, and the manner, of filling casual vacancies among members of a Regional Committee under sub-section (7) of section 20;
  - (p) any other matter in respect of which provision is to be, or may be, made by regulations.
- 33. Every rule and every regulation made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament, while it is in session, for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or regulation, or both Houses agree that the rule or regulation should not be made, the rule or regulation shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or amulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule or regulation.

210 Gof I-3

Rules and regulations to be laid before Parlia ment.

Power to remove difficulties. 34. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Central Government may, by order, published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act as may appear to be necessary for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made uder this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.

K. L. MOHANPURIA, Secy. to the Govt. of India.

र्जिस्ट्री सं. डो. एल. -33004/95

REGQ. NO. D.L.-33004/95

0145

# The Gazette of

असाधार्ग EXTRAORDINARY PO

PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 401]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 10, 1995/आव द 19, 1917

No. 431]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 10. 1995/ASADHA 19, 1917

(शिक्षः विभाग)

ग्रधिसूचना

नई दिल्लो, 1 जुलाई, 1995

का आ. 620(म्र). -- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद म्रिधिनियम, 1993 (1993 का 73) की धारा 1 को उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त प्रधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा दिनांक 1 जुलाई, 1995 वह तिथि निर्धारित करती है जिस तारीख से उक्त अधिनियम लाग् होगा।

> [स. 61-37/94-डेस्क (टी.ई.)-] डा. ग्रार वी. वैद्यनाथ ग्रय्यर, संयुक्त सचिव

1666GI/95

(1)

ः हायक नियत्रक (प्रशासन)

भ रत सरकार, प्रकाशन विभाग १ संविल लाइन्स, दिल्ली-54